ૐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ

"માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા"

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-6 अंक : 64

सहयोग शुल्क : रु. 1 / अप्रैल : 2022

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

दिव्यांगों का विकास देश का भी विकास है...

- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

आओ, सब मिलकर दिव्यांग भाई-बहनों के जीवन में सुधार का काम करें...

- प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

ना पूछ की मेरी मंज़िल कहां है,
अभी तो सफ़र का इरादा किया है ।
ना हरुंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए,
ये मैने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है ।

प्रकृति का एक नियम है की खुदा अगर कुछ छीनता है तो उसके बदले में हमें बहुत कुछ देता भी है । बस जरुरत होती है यह ईश्वर की ताकत पर विश्वास रखने की । हर जीव का जीवन संघर्ष से ही शुरु होता है । जन्म से लेकर अंत तक संघर्ष है लेकिन साहसी व्यक्ति खुद के बुलंद हौंसलो के जरिए चुनौतियो का सामना मुस्कुराकर करते है । कभी भी खुद को कम मत समजे । आप भी बहुत कुछ करने की काबेलियत रखते हो । अपने जीवन की डिक्शनरी से **'दिव्यांग'** शब्द हंमेशा के लिए निकाल दे क्योंकि आप **दिव्यांग** नहीं है । आप कुछ खास करने के लिए आए हो...

"अगर आप सकारात्मक सोच को अपनाते हो तो दिव्यांग होना भी वरदान हो सकता है,,,"
हमंशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है ।

आप सभी को निवेदन है की **"दिव्ययांग सेतु"** पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु आपके आसपास **दिव्यांगजनो** के अनुलक्ष में हुए कार्यक्रम या कोई **दिव्यांग** व्यक्ति की जानकारी का ब्योरा भी आप हमें भेज सकते है । हम इसे प्रकाशित करेंगे ।

आओ आप भी दिव्यांगजनो के इस सेवायज्ञ में हमारा साथ दें...

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

अप्रैल - 2022, पृष्ठ संख्या - 16
वर्ष - 6 अंक - 64

✦ प्रेरणास्त्रोत और संपादक ✦

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

✦ सह-संपादक ✦

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना

यह योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कार्यान्वित एवं वित्त पोषित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की अंब्रेला योजना का एक घटक है । इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2017 को की गई थी ।

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक लाभ से वंचित बेंच मार्क दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने तथा सरकारी / सार्वजनिक / निजी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में सफलता हासिल करने के लिए नि-शुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना है ।

निःशुल्क कोचिंग किन-किन पाठ्यक्रमों के लिए सुलभ है ?

- ★ संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), तथा ग्रुप ए एवम् ग्रुप बी पदों के लिए विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाएं ।
- ★ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा उनके संबंधित राज्यों में ग्रुप ए तथा ग्रुप बी पदों के लिए आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाएं ।
- ★ इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस), राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी बीमा कंपनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूएस) द्वारा उनके अधीनस्थ अधिकारी स्तर की भर्ती परीक्षाएं ।
- ★ इंजीनियरिंग जैसे - आईआईटी - जेईई एवं एआईईई; मेडिकल जैसे एनआईआईटी, व्यावसायिक कोसों जैसे मैनेजमेंट अथवा कैट, विधि अर्थात् सी एएल टी और ऐसा कोई अन्य विषय जिनके बारे में समय-समय पर मंत्रालय द्वारा निर्णय किए जाते हैं इत्यादि में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षाएं ।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए नि-शुल्क कोचिंग योजना वर्तमान में ऑफलाइन कार्यान्वित की जा रही है । यह योजना केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / केंद्र शासित राज्य प्रशासन और पीएसयू अथवा स्वायत्त निकायों / केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों सहित पंजाकृत गैर सरकारी संस्थाओ (एनजीओ) द्वारा संचालित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों / केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है ।

पात्रता मानदंड और लाभार्थियों का चयन

१. वह भारत का नागरिक हो।

२. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 में उल्लिखित सभी बेंचमार्क दिव्यांग छात्रों को मिल सकेगा, जिनके विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र अथवा यूडी आईडी कार्ड में स्थाई दिव्यांगता 40 अथवा इससे अधिक अंकित किया गया हो अथवा किसी अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा स्थाई दिव्यांगता 40 अथवा अधिक प्रमाणित किया गया हो।)

३. लाभार्थी का समस्त स्त्रोतो से पारिवारिक वार्षिक आय 6,00,000/- (छह लाख) रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

४. दिव्यांग छात्रों का चयन कोचिंग संस्थान के द्वारा निर्धारित शैक्षिक मानदंडों के आधार पर किया जाता है, हालांकि संस्थान अपने करार में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मानदंडों में छूट प्रदान कर सकता है।

५. इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी के पास उस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता / योग्यता होनी चाहिए, जिसके लिए वह कोचिंग लेना चाहता / चाहती है।

६. अभ्यर्थी विशेष प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग का लाभ केवल एक बार ही उठा सकेगा। हालांकि, जहां परीक्षा दो चरणों में अर्थात प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रुप में आयोजित की जाती है, वहां उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं हेतु नि-शुल्क कोचिंग का लाभ उठाने का पात्र होगा। साथ ही, यदि उम्मीदवार का चयन साक्षात्कार के लिए भी हो जाता है, तो वह साक्षात्कार हेतु कोचिंग का लाभ भी पा सकेगा।

७. केंद्र सरकार के किसी अन्य योजना के तहत नि-शुल्क कोचिंग का लाभ नहीं उठाने वाले उम्मीदवार इस योजना के अंतर्गत पात्र छे.

८. प्रथम वर्ष के पूरा होने के बाद, यदि छात्र द्वितीय वर्ष के लिए भी कोचिंग सहायता जारी रखना चाहता है, तो इसके नवीनीकरण के लिए पुनः आवेदन देना होगा।

९. कोचिंग के लिए नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। यदि किसी वैध कारण के बिना कोई उम्मीदवार 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो इस स्थिति में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को सूचित करते हुए उसको दिया जाने वाला नि-शुल्क कोचिंग का लाभ समाप्त कर दिया जाएगा।

छात्रवृत्ति / स्टाइपेंड

कोचिंग शुल्क का भुगतान पैनलबद्ध कोचिंग संस्थानों को किया जाता है । परंतु, कोचिंग कक्षा में उपस्थित होने के लिए स्थानीय छात्रों को 2500 रुपए प्रति छात्र की दर से तथा बाहरी छात्रों को 5000 रुपए प्रति छात्र की दर से मासिक स्टाइपेंड प्रदान की जाएगी । इसके अलावा रीडर भत्ते, एस्कोर्ट भत्ते एवं सहायक भत्ते के रुप में 2000 रुपए प्रति माह की दर से प्रति छात्र विशेष भत्ता दिया जाता है ।

उम्मीदवारों को निर्धारित स्टाइपेंड और विशेष भत्ता सीधे पी एफ एम एस पोर्टल से उम्मीदवार के बैंक खाते में भेज दिया जाता है ।

नि-शुल्क छात्रवृत्ति योजना के व्यापक प्रचार प्रसार की द्रष्टि से, कोचिंग संस्थानों के द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र दिव्यांग छात्रों से स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं ।

कोचिंग संस्थानों की पैनलबद्धता के आवेदन के लिए पात्रता मानदंड

१. संस्थान एक पंजीकृत निकाय होना चाहिए अथवा सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 / कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित अधिनियम के तहत किसी निबंधित संगठन द्वारा चलाया जा रहा हो ।

२. संस्थान से स्वयं को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 50 के तहत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है ।

३. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विक्षाग के द्वारा इंपैनलमेंट हेतु राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों / कोचिंग संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए जाने संबंधित अधिसूचना की तारीख को संस्थान कम से कम 3 वर्षो की अवधि से निबंधित हो ।

४. इस योजना के तहत आवेदन करने के समय संस्थान के पास कम से कम 3वर्षो का कार्यानुभव हो और इंपैनलमेंट हेतु कम से कम पिछले 2 वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में कम से कम 100 छात्रों का उल्लिखित निर्दिष्ट कोसों में नामांकन होना चाहिए ।

५. संस्थान के पास आवेदित पाठ्यक्रमों में कोचिंग प्रदान करने हेतु दिव्यांग छात्रों की सभी निर्धारित जरुरतों को पूरा करने हेतु उपयुक्त बाधा मुक्त संरचना होनी चाहिए ।

संस्थानों का चयन समिति के द्वारा प्रदर्शन के उसके पिछले रिकोर्ड के आधार पर सूचीबद्ध किया जाता है । दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और कोचिंग संस्थान के बीच इंपैनलमेंट के समय हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार विभाग के द्वारा कोचिंग संस्थानों को कोचिंग शुल्क का भुगतान किया जाता है ।

Viklang Pension Yojana 2022

केंद्र सरकार द्वारा **विकलांग पेंशन योजना** का शुभारंभ किया गया है । इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है । इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अपना अपना योगदान दिया जाता है । केंद्र सरकार द्वारा ₹200 प्रति माह प्रति व्यक्ति का योगदान किया जाता है एवं राज्य सरकार शेष राशि प्रदान करती है । इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की न्यूनतम दर ₹400 प्रति माह है । अधिकतम राज्य द्वारा ₹500 रुपया प्रति माह की पेंशन लाभार्थियों को प्रदान की जाती है । यह राशि हर एक राज्य में अलग-अलग है । पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है । इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे ।

विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

Viklang Pension Yojana 2022 का मुख्य उद्देश्य देश के विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है । जिससे कि वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकें । अब देश के विकलांग नागरिकों को अपने खर्च के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उनको पेंशन प्रदान की जाएगी । यह पेंशन लाभार्थियों के खाते में प्रतिमाह या त्रमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर वितरित की जाएगी । इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की भी आवश्यकता नहीं है । वह घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं । इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी ।

विकलांग पेंशन योजना के लाभ तथा विशेषताएं

★ केंद्र सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है ।

★ इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिकों

वोइस टू दिव्यांग

को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।

- ★ इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अपना अपना योगदान दिया जाता है।
- ★ केंद्र सरकार द्वारा रु. 200 प्रति माह प्रति व्यक्ति का योगदान किया जाता है एवं राज्य सरकार शेष राशि प्रदान करती है।
- ★ इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की न्यूनतम दर रु. 400 प्रति माह है।
- ★ अधिकतम राज्य द्वारा रु. 500 रुपे प्रति माह की पेंशन लाभार्थियों को प्रदान की जाती है।
- ★ यह राशि हर एक राज्य में अलग-अलग है।
- ★ पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है।
- ★ इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

विकलांग पेंशन योजना की पात्रता

- ★ आवेदक राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए जहां से उसने आवेदन किया है।
- ★ आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- ★ उम्मीदवार की अधिकतम आयु 59 वर्ष होनी चाहिए।
- ★ आवेदक में न्यूनतम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए।
- ★ यदि आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।
- ★ आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

- ★ आधारकार्ड
- ★ बैंक पासबुक की छायाप्रति
- ★ डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- ★ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट
- ★ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- ★ आय प्रमाण पत्र
- ★ निवास प्रमाण पत्र
- ★ जन्म प्रमाण पत्र
- ★ फोटो आईडेंटिफिकेशन प्रूफ
- ★ बीपीएल कार्ड की छाया प्रति

विश्व स्वास्थ्य दिवस - 7 अप्रैल

विश्व स्वास्थ्य दिवस का इतिहास

साल 1948 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, जबकि इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1950 में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी । तभी से संपूर्ण विश्व में इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रुप में मनाया जा रहा है । 1950 से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े समस्त देश इस दिवस को मनाते आ रहे हैं । जैसे-जैसे सदस्य जुड़ते गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का भी प्रसार होता गया ।

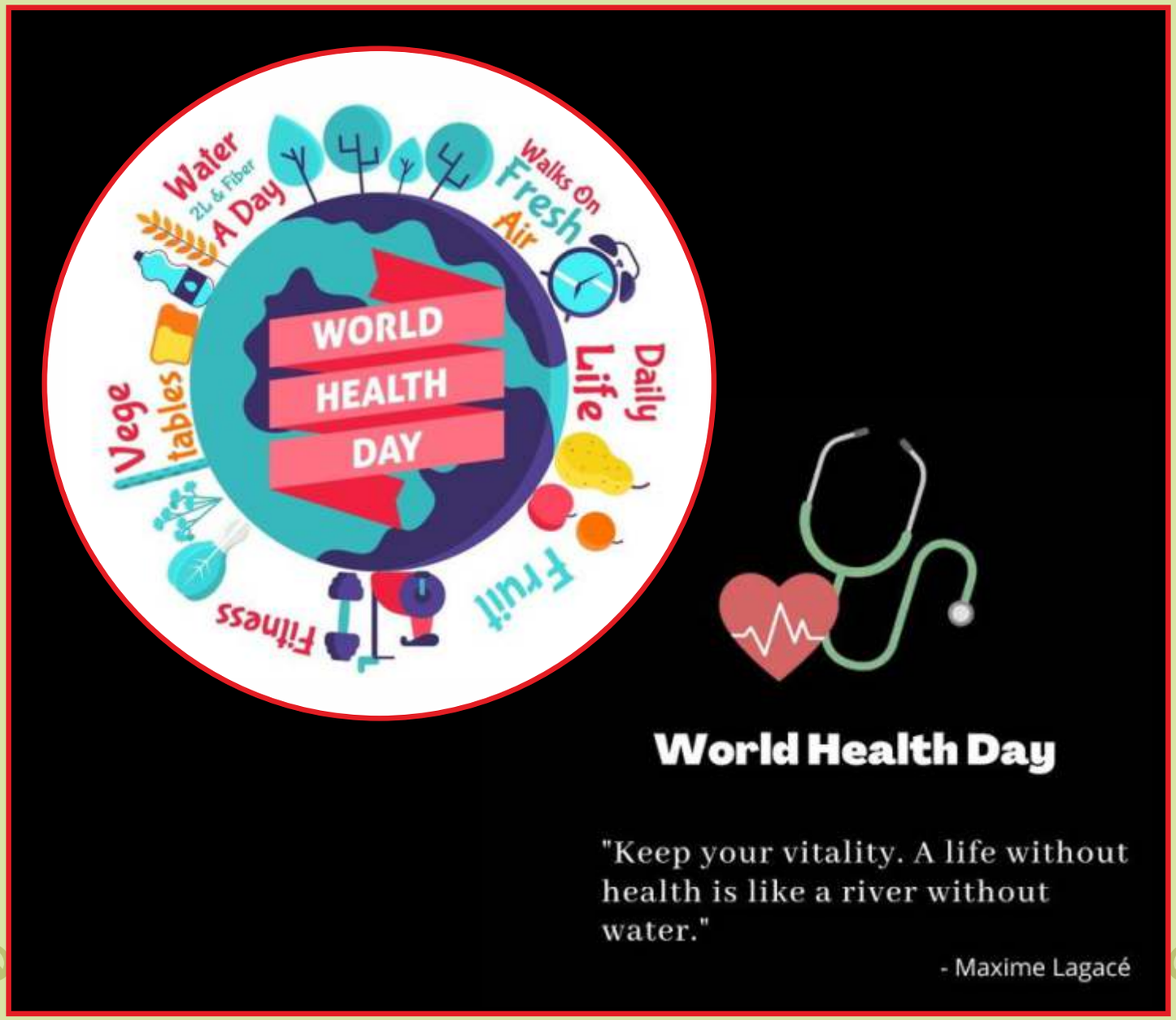

विश्व स्वास्थ्य संगठन को डब्ल्यूएचओ (WHO) के नाम से जाना जाता हैं, इसका मुख्य कार्य विश्व में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और इसके निवारण में मदद करना है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य

विश्व स्वास्थ्य दिवस के सारे उद्देश्य विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से ही जुड़े हुए हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में एक समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रति जागरुकता फैलाना, स्वास्थ्य संबंधी मामलों से जुड़े सभी मिथकों को दूर करना और वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर विचार करना और आगे बढ़कर उनपर काम करना है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य

पिछले 71 वर्षों से विश्व के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य कर रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करता है, सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबुत करने के लिए सहायता प्रदान करना, ऐसे विशेषज्ञो और पेशेवर समुहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देता है, जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान देते हैं।

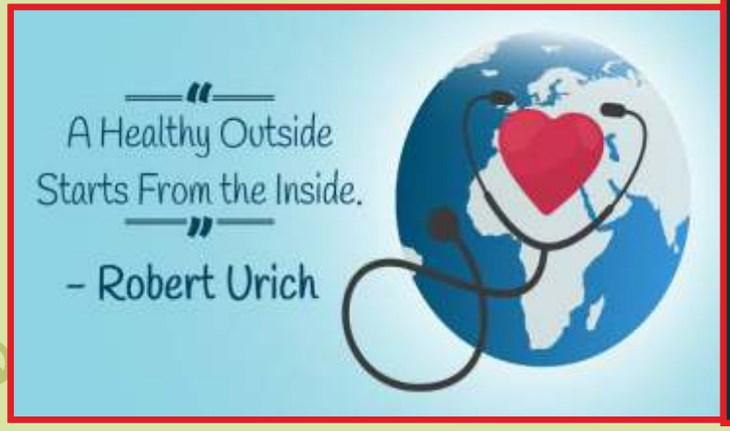

2 APRIL - WORLD AUTISM AWARENESS DAY

ऑटिज़्म क्या है ?

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार) जिसे ऑटिज़्म भी कहते है, जन्म के समय या उसके शीध्र बाद आरंभ होने वाली यह एक जीवन-भर की विकलांगता है। ऑटिज़्म व्यक्ति के सीखने के ढंग और वह अन्य लोगों और आस-पास के वातावरण से किस तरह क्रियालाप करता है, इस पर प्रभाव डालता है।

इसके लक्षणों में शामिल है :-

- ★ सामाजिकता, भाषा और संवादशीलता की कला के विकास में भिन्नता।
- ★ वहुत कम चीज़ों में रुचि और एक ही प्रकार के व्यवहार को बार-बार करना।
- ★ संवेदनाओं संबंधी असामान्यताएं, जैसे कि ध्वनियों से बच कर रहना या इधर-उधर अत्यधिक चलना-फिरना।
- ★ अन्य बच्चों के मुक़ाबले सीखने और खेल-कूद में भाग लेने में भिन्नता।

जिन लोगों को ऑटिज़्म है, उनके लक्षणों में परस्पर कुछ समानताएं हो सकती है परन्तु वे सभी पूरी तरह एक जैसे नहीं होते, इसी कारण इसे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम (स्वलीनता स्पेक्ट्रम) कहते है।

लोग किसी भी आयु में ऑटिज़्म से प्रभावित हो सकते हैं और उनमें अनेक प्रकार की कुशलताएं, व्यवहार, सामाजिक बोधक्षमताएं और संवाद क्षमताएं देखने में आती हैं।

ऑटिज़्म का पता कैसे लगाया जाता है ?

आम तौर पर एक बाल-रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक या विशेषज्ञ दल व्यक्ति का अवलोकन करता है और उसके माता-पिता से तथा कभी-कभार अध्यापकों से बातचीत करता है। वे लोग बच्चों को कुछ करने के लिए भी कह सकते है ताकि वे देख सकें कि वे सीखते कैसे हैं। पेशेवर व्यक्ति कुछ साधनों और निर्धारणों के द्वारा बच्चे की कुछ मानदंडो के अनुरुप होने की जांच करते है और वे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की पहचान कर सकते हैं।

ऑटिज़्म कितना आम है ?

अनुसंधान के अनुसार 100 में से 1 व्यक्ति में ऑटिज़्म देखने में आता है और यह स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है।

कारण :-

ऑटिज़्म होने का कोई कारण ज्ञात नहीं है । अनुसंधान के अनुसार आनुवंशिक और परिस्थितियों संबंधी धटको का (जन्म से पूर्व और जन्म के बाद, दोनों ही) ऑटिज़्म होने के कारण से संबंध हो सकता है। अनुसंधान से यह भी पता चला है कि हर व्यक्ति में इसका कारण भिन्न हो सकता है।

-: ऑटिज़्म के मुख्य लक्षण :-

संवादशीलता :-

संवादशीलता अपनी आवश्यकताओं और मांगों को बता पाने तथा औरों को समझने की क्षमता है। ऑटिज़्म से ग्रस्त व्यक्ति बोल तो सकते हैं लेकिन :

★ उन्हें दूसरों को समझने में कठिनाई होती हैं।

★ वे प्रश्नों और टिप्पणियों का शाब्दिक अर्थ ही समझते हैं।

★ उन्हें रुपक अलंकार वाले और अनेक अर्थ वाले शब्द आसानी से समझ नहीं आते।

★ उन्हें दूसरों से वार्तालाप आरंभ करना या उसे जारी रखना कठिन लगता हैं।

★ वे एक वयस्क की भाँति बात करते हैं।

★ वे कुछ ही शब्दों और वाक्यांशों को बार-बार दोहराते हैं।

संवादशीलता संबंधी कठिनाइयां उनके सामाजीकरण पर प्रभाव डालती हैं।

सामाजीकरण :-

सामाजीकरण का अर्थ है कि व्यक्ति समुदाय के अन्य लोगों से किस तरह के संबंध रखता है। ऑटिज़्म से ग्रस्त व्यक्तियों में सामाजिक नियमों का ज्ञान कम हो सकता है, वे अकेले रहना पसंद करते हैं, वे नहीं जानते कि वे किसी खेल/गतिविधि में कैसे भाग ले सकते हैं और उनका व्यवहार कभी-कभी देखने में अभद्र भी लग सकता है।

व्यवहार :-

ऑटिज़्म से ग्रस्त व्यक्तियों के अक्सर अपने अलग तरीके होते हैं और वे कुछ गतिविधियों को बार-बार दोहराते हैं । ऐसा करने से उन्हें शांति और व्यवस्था का आभास होता है। ऑटिज़्म से ग्रस्त अधिकांश व्यक्ति :

★ नियमित दिनचर्या चाहते हैं।

★ परिवर्तन को पसंद नहीं करते।

★ किसी एक विषय में अत्यधिक रुचि रखते हैं।

★ असामान्य शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि हाथों को लगातार हिलाते रहना।

सेंसरी प्रोसेसिंग :-
(इन्द्रियों से प्राप्त जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया)

सेंसरी प्रोसेसिंग का मतलब है कि हमारा मस्तिष्क इन्द्रियों से जानकारी कैसे प्राप्त करता है और फिर क्या प्रतिक्रिया करता है। सेंसरी प्रोसेसिंग में भिन्नता का बच्चे द्वारा घर, विद्यालय और समुदाय में सीखने और ठीक व्यवहार करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ऑटिज़्म से ग्रस्त व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में बहुत तीखी या सामान्य से कम प्रतिक्रिया का प्रदर्शन कर सकते हैं :-

★ शोर
★ स्पर्श
★ देखी गई जानकारी
★ गंध
★ स्वाद
★ उनके आस-पास होने वाली गतिविधि
★ उनके आस-पास के लोग और वस्तुएं

ऑटिज़्म के कारण सीखने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

ऑटिज़्म से ग्रस्त विद्यार्थियों में अनेक क्षमताएं देखी जाती हैं, इसमें शामिल हैं :

★ अच्छी याददाश्त
★ दिनचर्याओं और नियमों का पालन
★ सदा प्रेरित रहना और कुछ विषयों के बारे में अत्यधिक ज्ञान
★ किसी बात को देख कर आसानी से सीख लेना
★ ईमानदारी

ऑटिज़्म से ग्रस्त हर बच्चा भिन्न होता है लेकिन अक्सर निम्नलिखित मामलों में उन्हें परेशानी आती है :-

★ परिवर्तन
★ किसी बात पर ध्यान देना या एकाग्रचित रहना
★ सामाजिक गतिविधियाँ
★ भावनात्मकता
★ मांसपेशियों और गतिविधियां का समन्वय
★ दृष्टि को एक ही जगह पर टिकाए रखना
★ बात का मतलब समझना
★ एक परिस्थिति में सीखी हुई कुशलता का किसी दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल करना
★ सेंसरी प्रोसेसिंग
★ घटनाक्रम को समझना (घटनाओं के क्रम को समझना)
★ योजना बनाना और व्यवस्थापन करना
★ जो काम उन्हें कम पसंद हैं उनको पूरा करने के लिए प्रेरित होना

उनकी सामर्थ्य के क्षेत्रों पर जोर देना उन्हें पढ़ाने की एक अच्छी कार्यनीति है न कि उन्हें कठिन लगने वाले क्षेत्रों में उनकी क्षमता को वढ़ाना।

वोइस टू दिव्यांग

गायत्री विकलांग मंडल द्वारा निस्वार्थ सेवा संस्थान के आंगन में गरीब बच्चों को दाताओं से मिले दान में से गरीब बच्चों को भोजन दिया जाता है । संस्था की ओर से जरूरतमंदों के लिए साधन सहाय सेवा एवं सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया जाता है....

नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित डॉक्टर हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फॉर मेंटली डिसेबल्ड संस्था की स्थापना के 29 वर्ष पूर्ण होने पर संस्था की ओर से गांधीनगर में बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था । इस कार्यक्रम में सभी मनो दिव्यांग बच्चों के साथ उनके माता-पिता ने भी उत्साह से हिस्सा लिया था।

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट

(N.G.O.)

संचालित

ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर

मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए नि:शुल्क तालीमी संस्था

शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे

सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिझनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-380 016
मो. : 99749 55125, 99749 55365

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर